<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्<u>ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः — 482 / 14</u> संस्थापन दिनांकः—04 / 08 / 14 फाईलिंग नं. 233504000452014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

श्याम उर्फ संदीप सोनी पिता मदनलाल उम्र 34 वर्ष, निवासी वार्ड क. 01, श्रदानंद वार्ड कन्या स्कूल के सामने चिचोली, थाना चिचोली,जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 03.05.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 452, 294, 323(दो कांउट में), 506 भाग—दो भा0दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 03.07.2014 को दोपहर 02:30 बजे जैन मोहल्ला आमला प्रार्थिया का मकान थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी रोशनी सोनी को उपहित हमला या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं सार्वजिनक स्थान पर उसके समीप फरियादी रोशनी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रोशनी सोनी तथा आहत चंद्रकला को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.07.2014 को दोपहर 02:30 बजे फरियादी एवं उसकी मां घर पर थी। तभी अचानक अभियुक्त आया और उसके घर में घुसकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। उनके द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उनके साथ हाथ मुक्के से मारपीट किया। मारपीट से उसे सिर एवं उसकी मां को दांहिने हाथ की कलाई में चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 498/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा

बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झुटा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रोशनी सोनी को उपहित हमला या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार किया?
- 2. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 3. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 4. क्या इससे फरियादी एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 5. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी रोशनी सोनी एवं आहत चंद्रकला को हाथ मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 6. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 7. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- 8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

5

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 02, 03, 04 एवं 07 का निराकरण

रोशनी सोनी (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह

प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय उसे गाली गलौच की थी। साक्षी ओमप्रकाश सोनी (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसे उसकी पत्नी एवं बेटी ने बताया था कि अभियुक्त ने उनके साथ गाली गलौच की थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

- 6 साक्षी / फरियादी रोशनी सोनी (अ.सा.—1) एवं ओमप्रकाश सोनी (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय गाली गलौच करने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन—किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वंशी विरुद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
- 7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी रोशनी सोनी (अ.सा.—1) एवं चंद्रकला सोनी (अ.सा.—2) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी रोशनी सोनी (अ.सा.—1) एवं चंद्रकला सोनी (अ.सा.—2) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा—506 भाग—2 भाठदं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 05 एवं 06 का निराकरण

8 रोशनी सोनी (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि अभियुक्त उसका पित है। वह अभियुक्त से पृथक होकर अपने पिता के घर पर रह रही है। घटना के दिन अभियुक्त घर पर बिना बताये आ गया और उसके साथ मारपीट की। जब मां बीच बचाव के लिए आयी तो अभियुक्त ने उन्हें भी हाथ मुक्के से मारा। चंद्रकला सोनी (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि घटना के दिन अभियुक्त बिना बताये घर के अंदर आ गया और उसकी बेटी रोशनी से मारपीट करने लगा। बीच बचाव किया तो अभियुक्त ने उसे भी धक्का दिया था। ओमप्रकाश सोनी (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि उसे घटना की जानकारी उसकी पत्नी और बेटी ने दी थी। अभियुक्त ने उनके साथ मारपीट की थी।

- 9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—4) ने दिनांक 04.07.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत चंद्रकला का परीक्षण किये जाने पर आहत की दांहिनी कलाई के जोड़ पर एक गुणा आधा सेमी. आकार की खरोच का निशान पाया था तथा आहत रोशनी का परीक्षण करने पर आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी थी परंतु आहत के सिर में दर्द था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी—3 एवं प्रदर्श पी—4 को प्रमाणित भी किया है।
- 10 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—5) ने दिनांक 04.07.2014 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 498 / 14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तथा दिनांक 22.07.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।
- 11 प्रकरण में बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि समस्त अभियोजन साक्षीगण एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी है एवं उनके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकरण किया है।
- वचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि मात्र हितबद्ध साक्षी होना ही साक्ष्य को प्रभावित नहीं करता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वीरेंद्र पोददार विरूद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233 में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है।
- 13 ओम प्रकाश सोनी (अ.सा.—3) प्रकरण में अनुश्रुत साक्षी है। साक्षी ने घटना की संपूर्ण जानकारी अपनी पत्नी और बेटी से मिलना बताया है। अतः इस साक्षी से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 प्रकरण में साक्षी रोशनी (अ.सा.—1) एवं चंद्रकला (अ.सा.—2) आहत होकर सर्वोत्तम साक्षी है। रोशनी (अ.सा.—1) एवं चंद्रकला (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्त बिना बताये घर के अंदर आ गया था। रोशनी (अ.सा.—1) ने यह बताया है कि अभियुक्त ने पहले उसके साथ मारपीट की। जब मां बीच बचाव के लिए आयी तो अभियुक्त ने उसे हाथ मुक्कों से मारा। चंद्रकला (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि जब उसने बीच बचाव किया था तो अभियुक्त ने उसे धक्का दिया था।

रोशनी सोनी (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि ६ 15 ाटना के दिन उसका पति अभियुक्त अचानक घर पर आ गया था। जब अभियुक्त घर पर आया तो वह और उसकी मां घर पर ही थे। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अचानक से अभियुक्त घर के अंदर घुस गया था। अभियुक्त घर के अंदर खड़े होकर चिल्ला रहा था। जब घर पर आया तब उसके हाथ में कोई सामान नहीं था। आवाज सूनकर वह बीच बचाव करने के लिए आयी थी। चंद्रकला सोनी (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह और उसकी बेटी रोशनी घर पर अकेले थे, घर कर दरवाजा खुला हुआ था। घर पर जब अभियुक्त आया तो उसने दरवाजा ठोका था। अभियुक्त को देखकर उसने पहचान लिया था। जब अभियुक्त आया तो उसने अभियुक्त से कहा कि घर के अंदर आये और उसे पानी भी दिया। दामाद होने के नाते सम्मान किया। ऐसा नहीं हुआ था कि अभियुक्त जबरदस्ती घर के अंदर घुस गया हो। अभियुक्त को घर में बैठाकर वह उसके लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गयी थी। अभियुक्त और उसकी बेटी रोशनी के बीच में बातचीत होने लगी थी। जब जोर-जोर से बातें करने की आवाज आयी तब वह आयी। अभियुक्त ने रोशनी को धक्का दिया था और सिर दीवार से टकरा दिया था। जब अभियुक्त घर पर आया तो उसकी बेटी रोशनी को साथ ले जाने के लिए कहने लगा तो उसने रोक दिया। जब अभियुक्त घर पर आया तब उसके हाथ में कोई सामान नहीं था। कोई औजार वगैरह लेकर वह घर पर नहीं आया था।

16 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 03.07.2014 की है। जबिक घटना की रिपोर्ट थाने में दिनांक 04.07.2014 को की गयी है। घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र एक किलोमीटर है। प्रकरण में फरियादी रोशनी एवं साक्षी चंद्रकला के कथनों में अत्यन्त विरोधाभास है। रोशनी (अ.सा.—1) ने यह बताया है कि अभियुक्त बिना बताये अचानक से घर के अंदर घुस गया था। जबिक चंद्रकला (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि जब अभियुक्त घर पर आया था तो दरवाजा ठोका था और उसने अभियुक्त को घर के अंदर लाकर उसका आदर सत्कार किया था। रोशनी सोनी ने यह बताया है कि जब उसकी मां बीच बचाव के लिए आयी थी तो अभियुक्त ने उसे हाथ मुक्कों से मारा था। जबिक चंद्रकला सोनी ने यह बताया है कि जब उसने बीचा बचाव किया था तो

अभियुक्त ने उसे धक्का दिया था। साथ ही चंद्रकला सोनी (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में यह भी बताया है कि जब वह आवाज सुनकर कमरे में आयी थी तब अभियुक्त और उसकी बेटी के बीच मारने पीटने की बातें हो रही थी।

17 प्रकरण में यह स्थापित है कि अभियुक्त फरियादी रोशनी का पित है एवं फरियादी रोशनी उससे पृथक होकर अपने पिता के साथ निवासरत है। अभिलेख पर ऐसी साक्ष्य नहीं आयी कि अभियुक्त उपहित कारित करने की तैयारी के साथ घर पर घुसा हो। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से पित एवं पत्नी के बीच में पारिवारिक विवाद होना प्रकट हो रहा है। फरियादी तथा साक्षी चंद्रकला के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रोशनी सोनी को उपहित हमला या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं सार्वजिनक स्थान पर उसके समीप फरियादी रोशनी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रोशनी सोनी तथा आहत चंद्रकला को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त श्यामसोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 294, 323(दो कांउट में), 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त होषित किया जाता है।

- 19 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 20 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)